RISING RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 29 / 2025 GCMS NO. 2025/167

अपीलांटगण–

1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी जोराराम जाति विश्नोई, निवासी रामसागर कानोडिया महासिंग तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर हाल भाणा मगरा, करना, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 560 दिनांक 31.07.2025 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पूंजराम बामणिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रर्फामा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 17.03.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मौजा भाणा मगरा, पटवार हल्का करना, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 192, 193, 198 कुल रकबा 39.4168 हैक्टयर के तहसील सिणधरी के नामान्तरकरण संख्या 560 पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 31.07.2025 के विरूद्ध दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा भाणा मगरा, पटवार हल्का करना, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 192, 193, 198 कुल रकबा 39.4168 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान के संबंध में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण संख्या 6498 / 2011 विचाराधीन होने के उपरांत भी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी में नया प्रकरण संख्या 33 / 2022 अनवान मोटाराम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

बनाम रूखमणी व अन्य दर्ज करते हुए बिना सुनवाई के न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी के निर्णय दिनांक 15.07.2025 के आधार पर हल्का पटवारी करना द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार सिणधरी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को नामान्तरणकरण संख्या 560 स्वीकृत किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित आदेश 31.07.2025 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं आलोच्य अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस यह कथन किया कि उक्त विवादित भूमि मौजा भाणा मगरा, पटवार हल्का करना, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 192, 193, 198 कुल रकबा 39.4168 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान की जमीन पर पूर्व में तहसीलदार गुडामालानी के प्रकरण संख्या 2/2010 निर्णय दिनांक 22.12.2010 में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलांट के पक्ष में निर्णय दिया गया। पूर्व वादीगण द्वारा प्रकरण संख्या 2/2010 निर्णय के खिलाफ राजस्व अपील संख्या 19/2011 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 05.09.2011 को वादीगण के खिलाफ व अपीलांट के पक्ष में फैसला दिया गया, जिसके खिलाफ वादीगण द्वारा राजरव मण्डल अजमेर में अपील संख्या 6498/2011 पेश की गयी जो कि विचाराधीन है। अपील संख्या 6498/2011 का निस्तारण न होने से पूर्व वादीगण द्वारा एसडीएम कोर्ट सिणधरी मे उक्त खसरान का एक नया दावा पेश कर सही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर वादीगण के पक्ष में डिकी पारित करवाकर जमीन को खुर्द बुर्द करने की नियत से अपने पक्ष में डिकी पारित करवा दी गयी। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 560 दिनांक 31.07.2025 तहसीलदार सिणधरी द्वारा बिना तथ्यो की जांच किये बिना पारित कर दिया गया है। स्वर्गीय मुगली बेवा पेलादराम वंशावली वृक्ष के मुताबिक हरकनराम/तेजाराम, श्रीमती पूनि पत्नी बंशीलाल, हरीराराम/बंशीलाल व मोटाराम पुत्र प्रतापाराम के रिश्ते की काकी बड़ी मां व दादी लगती है परन्तु स्वर्गीय मुगली ने अपनी सगी बहन अपीलांट रूकमणी पत्नी जोराराम को जो वसीयत की है वह उसकी अंतिम वसीयत है तथा वसीयत के गवाहान के मुताबिक मु. मुगली बेवा पेलादराम ने अपनी बहन रूकमणी को की

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

थी। पटवारी रिपोर्ट मुजब मौजा भाणा मगरा के खसरा नंबर 192, 193, 198 कुल रकबा 58.04 बीघा में स्वर्गीय मुगली के 1/2 हिस्से पर कब्जा कास्त मुगली की बहन रूकमणी पत्नी जोराराम का रहा व है। मोटाराम पुत्र प्रतापाराम द्वारा एक वाद संख्या 02/2010 तहसीलदार गुडामालानी के समक्ष पेश किया तथा तहसीलदार गुडामालानी द्वारा वसीयत के अनुसार उसकी सगी बहन अपीलांट रूकमणी पत्नी जोराराम विश्नोई के नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश क्रमांक/भू.अ./2010/8880 दिनांक 30.12.2010 को पारित किया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 233 दिनांक 31.12.2020 को अपीलांट के नाम स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय 02/2010 के खिलाफ मोटाराम वगैरा द्वारा एक अपील संख्या 19/2011 न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर में की गयी, जो कि दिनांक 05.09.2011 को निर्णित हुई और मोटाराम की अपील खारिज कर अपीलांट रूकमणी के पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2010 को यथावत रखा गया। न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2011 के खिलाफ मोटाराम वगैरा द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे राजस्व अपील संख्या 6498/2011 पेश की गयी, जो वर्तमान मे विचाराधीन है। राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 6498/2011 विचाराधीन होने के बावजुद भी मोटाराम वगैरा द्वारा सहायक कलेक्टर गुडामालानी में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम का पेश किया गया जो कि खारिज फरमाया गया। उक्त दावो के विचारण के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा उपखण्ड कार्यालय सिणधरी खोला गया, जिसके कारण गुडामालानी का पूर्व क्षेत्राधिकार शुन्य हो गया। जिसका मौका पाकर पूर्व दावो के तथ्यों को छिपाकर उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को गुमराह कर पूर्व मे उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा समान आरजी व समान धारा का दावा खारिज हो चुका था, वो ही दावा मोटाराम वगैरा द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सिणधरी के यहां पेश किया, जिसके राजस्व वाद संख्या 33/2022 है। न्यायालय सहायक कलेक्टर सिणधरी मे बअनवान मोटाराम बनाम रूकमणी वगैरा का जो वाद पत्र संख्या 33/2022 पेश किया गया था, उसमें वादी द्वारा उक्त वर्तमान मे चल रही अपीलों व दावो के तथ्यों को छिपाकर गलत व अवैध तरीके से अपने पक्ष में डिकी जारी करवा दी। एसडीओ सिणधरी द्वारा जारी डिकी के खिलाफ अपील श्रीमान राजस्व अपीलीय प्राधिकारी न्यायालय बाडमेर के समक्ष लम्बित है। उपरोक्त अवैध व शुन्य डिकी के आधार पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा म्युटेशन संख्या 560 दिनांक 31.07.2025 को खुलवाकर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवा दिया है, जो सही तथ्यों की जांच किये बिना विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल पारित

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

किया है। उक्त खसरान की अपील राजस्व मण्डल मे विचाराधीन होने के उपरांत भी डिकी प्राप्त कर आलौच्य म्युटेशन प्रविष्टि संख्या 560 दिनांक 31.07.2025 को खारिज करने योग्य है। सहायक कलेक्टर सिणधरी के आदेश के समय वादी द्वारा सही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों के आधार पर जो डिकी पारित करवायी है, उक्त डिकी पारित होने के बाद भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा उसकी पालना में जांच किये बिना म्युटेशन स्वीकृत करने से भारी कानूनी व वाक्यांति भूल की है। तत्कालीन हल्का पटवारी करना द्वारा अंतिम चौसला आधार संवत 2076–2079 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) स्थाई जमाबंदी मे नोट लगा रखा है कि ग्राम भाणा मगरा पटवार हल्का करना के खसरा नंबर 192, 193 व 198 सभी कास्तकार पर मुकदमा संख्या 27/2012 खसरा नंबर 192, 193 व 198 पर राजस्व अपील अधिकारी बाडमेर का स्थगन है, यह नोट लगा होने व राजस्व मण्डल मे अपील विचाराधीन होने के बाद भी खोला गया। अपीलाधीन आलौच्य म्युटेशन पारित करने में कानून एवं न्याय की खुली अवहेलना की गयी है। अतः अपीलांट की स्वीकार की जाकर म्युटेशन संख्या 560 दिनांक 31.07.2025 को जो जरिये आदेश सहायक कलेक्टर सिणधरी की पालना मे भरा गया, को निरस्त, अपास्त फरमावे तथा पूर्व मे स्वर्गीय मुगली के वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट रूकमणी के नाम से भरा गया म्युटेशन संख्या 233 दिनांक 31.12.2010 को यथावत रखते हुए राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती व अमल दरामद करने के आदेश प्रदान करावे।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा भाणा मगरा, पटवार हल्का करना, तहसील सिणधरी के खेत खसरा नंबर 192, 193, 198 कुल रकबा 39.4168 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। उक्त खसरान के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी के निर्णय दिनांक 15.07.2025 के आधार पर हल्का पटवारी करना द्वारा नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार सिणधरी द्वारा दिनांक 31.07.2025 को नामान्तरणकरण संख्या 560 स्वीकृत किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह विदित होता है कि इसी विवाद से संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी (RAA) के समक्ष अपील दायर की जा चुकी है। वर्तमान में उक्त मामला RAA न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि नामांतरण (Mutation) का आधार मूल वाद या मुख्य आदेश होता है, जो कि पहले से ही उच्चतर न्यायालय (RAA) के विचाराधीन है। अतः इस न्यायालय में चल रही कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से जारी रखना न्यायसंगत

जिला कलक्टर
बालोतरा

नहीं है। एक ही प्रकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर दो अलग–अलग न्यायालयों में समानांतर कार्यवाही (Parallel Proceedings) होने से विरोधाभासी निर्णय आने की संभावना रहती है। अतः न्यायहित में यह उचित प्रतीत होता है कि उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध अन्य न्यायालयों में विचाराधीन होने से एवं अन्य न्यायालय का अंतिम निर्णय होने तक उक्त म्युटेशन को यथावत रखा जाकर अपील खारीज की जाती है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन, आधारहीन होने से तथा उक्त आदेश की अपील अन्य न्यायालय में लंबित होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

7. निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा